कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या– /एसटीए/दस–82/2020 दिनांकः 18 फरवरी, 2020

–: विज्ञप्ति :–

उत्तराखण्ड शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–619/ix/ 166/2005 दिनांक 17–01–2005 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 31–01–2020 के संकल्प संख्या–07 में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यात्री किराया की दरों से सम्बन्धित विज्ञप्ति संख्या–3289/एस0टी0ए0/दस–82/2018 दिनांक 31–07–2018 को अधिक्रमित करते हुये विभिन्न श्रेणी की गाड़ियों के अधिकतम किराये की दरें निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं :–

मंजिली गाड़ियों के लिए किराये की दरें

(एक) नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर चलायी जाने वाली निजी क्षेत्र एवं परिवहन निगम की मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में यात्री किराया दरें

क्र0 सं0	श्रेणी	मैदानी मार्गों हेतु	पर्वतीय मार्गों हेतु
(1)	**साधारण** (Non Deluxe Bus)	105.00 पैसे प्रति किमी0 प्रति यात्री (मूल दर)	150.00 पैसे प्रति कमी0 प्रति यात्री (मूल दर)
(2)	**वातानुकूलित सेवा**		
	क– (3X2) सीटिंग ले–आउट (A.C. Non Deluxe Bus)	मूल दर का 1.25 गुणा	मूल दर का 1.25 गुणा
	ख–(2X2) सीटिंग ले–आउट (A.C. Deluxe Bus) Integral Coach	मूल दर का 1.90 गुणा	मूल दर का 1.90 गुणा
	ग– Super Luxury Coach with monocoque body	मूल दर का 3.00 गुणा	मूल दर का 3.00 गुणा

(3) चारधाम/हेमकुंड यात्रा हेतु विशेष/अस्थायी परमिट पर संचालित बसें

सीटिंग क्षमता	वाहन की श्रेणी	किराया (रू0/प्रति किमी0)	प्रतीक्षा शुल्क (रू0/प्रतिदिन)
20 सीट तक		55.00	–
21 से 30 सीट	साधारण	50.00	3500.00
	डीलक्स (पुश बैक) (2X2)	60.00	5000.00
	वातानुकूलित	70.00	5500.00
31 से 45 सीट	साधारण	60.00	5000.00
	डीलक्स (पुश बैक)	65.00	6000.00
	वातानुकूलित	75.00	7000.00

arvl

स्पष्टीकरण : परिवहन निगम के स्वामित्वाधीन संचालित मंजिली वाहनों पर उक्त दरों के अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण अधिभार के रूप में आधारभूत किराये का अधिकतम 20 प्रतिशत तक पृथक से उदगृहीत किया जा सकेगा।

(दो) केवल नगर निगम के केन्द्र से 30 कि0मी0 से अनधिक अर्धव्यास की परिधि में चलायी जाने वाली साधारण मंजिली गाड़ियों (नगर बसों) के सम्बन्ध में अधिकतम यात्री किराये की दरें

क्र0सं0	**निर्धारित स्लैब**	**दर (रू0)**
1	**2**	**3**
1.	प्रथम 02 किमी0 तक	7.00
2.	02 से अधिक किन्तु 06 कि0मी0 तक	10.00
3.	06 से अधिक किन्तु 10 कि0मी0 तक	15.00
4.	10 से अधिक किन्तु 14 कि0मी0 तक	20.00
5.	14 से अधिक किन्तु 19 कि0मी0 तक	25.00
6.	19 से अधिक किन्तु 24 कि0मी0 तक	30.00
7.	24 से अधिक किन्तु 29 कि0मी0 तक	35.00
8.	29 कि0मी0 से अधिक	40.00

ठेका यान के लिए किराये की दरें

(एक) ऑटोरिक्शा (तिपहिया वाहन)

	निर्धारित दरें
(1) किराये की दरें	प्रथम 02 कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 50.00 तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 15.00
(2) रात्रि किराया	उपरोक्त दर से 50 प्रतिशत अधिक (रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)

(दो) टैम्पो (तिपहिया वाहन)

किराये की दरें	प्रथम 2 कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 40.00 तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 या उसके भाग के लिए रू0 17.00

(तीन) टैक्सी/मैक्सी कैब

वाहन का प्रकार	**वाहन का मूल्य (लाख रू0 में)**	**मैदानी मार्ग हेतु किराये की दर (रू0)**		**पर्वतीय मार्ग हेतु किराये की दर (रू0)**	
		साधारण सेवा	**वातानुकूलित**	**साधारण सेवा**	**वातानुकूलित**
ऑर्डिनरी	06 लाख से अनधिक	14.00	16.00	16.00	18.00
डीलक्स	06 लाख से अधिक परन्तु 12 लाख से अनधिक	17.00	20.00	20.00	23.00
लग्जरी	12 लाख से अधिक परन्तु 20 लाख से अनधिक	22.00		25.00	
सुपर लग्जरी	20 लाख से अधिक	35.00		40.00	

(2)	प्रतीक्षा भाड़ा	श्रेणी	प्रथम 02 घन्टे तक	02 से 04 घन्टे तक	04 घन्टे से अधिक प्रत्येक घन्टे के लिए
		ऑर्डिनरी	50	125	50
		डीलक्स	75	175	100
		लग्जरी	100	250	150
		सुपर लग्जरी	125	350	200
		टिप्पणीः— वाहन का एक दिवस में 200 कि0मी0 या अधिक संचालन हो जाने पर प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा।			

(पांच) ठेका बस

सीटिंग क्षमता	वाहन की श्रेणी	किराया (रू0/प्रति किमी0)		प्रतीक्षा भाड़ा
		मैदानी मार्ग	पर्वतीय मार्ग	
20 सीट तक		50.00	55.00	80 कि0मी0 से कम संचालन होने पर 80 किमी0 का किराया देय होगा और 80 किमी0 से अधिक संचालन पर प्रति किमी0 की दर से किराया देय होगा। 08 घन्टे तक कोई प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा किन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक घन्टे के लिए रू0 200.00 अतिरिक्त देय होगा।
21 से 30 सीट	साधारण	48.00	50.00	
	डीलक्स (पुश बैक)	57.00	60.00	
	वातानुकूलित	66.00	70.00	
31 से अधिक	साधारण	57.00	60.00	
	डीलक्स (पुश बैक)	63.00	65.00	
	वातानुकूलित	72.00	75.00	

3— माल वाहनों के लिए भाड़े की दरें

एक— अधिकतम भाड़े की दर

1— मैदानी मार्ग हेतु — 29.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.

2— पर्वतीय मार्ग हेतु — 44.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.

दो— रोक लेने का प्रभार (डिटेन्शन चार्ज)

प्रतिदिन 8 घण्टे के लिए — हल्के मोटरयान के लिए रू0 166.00

अन्य मोटरयान के लिए रू0 248.00

स्पष्टीकरण

1— ***ऑटो रिक्शा*** का तात्पर्य तीन पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अनधिक सीटें हों।

2— ***टैम्पो*** का तात्पर्य तीन पहिये वाली गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अधिक परन्तु 6 से अनधिक सीटें हों।

3— ***ऑर्डिनरी कैब*** का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित होती हो जिसका मूल्य रू0 6.00 लाख से अनधिक न हो।

4— ***डीलक्स कैब*** का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू0 6.00 लाख से अधिक हो परन्तु रू0 12.00 लाख से अधिक न हो।

5— ***लग्जरी कैब*** का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू0 12.00 लाख से अधिक हो, परन्तु रू0 20.00 लाख से अधिक न हो।

6— ***सुपर लग्जरी कैब*** का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और रू0 20.00 लाख से अधिक हो।

7— ठेका बस के सम्बन्ध में एक घण्टे का समय वाहन में चढ़ने तथा उतरने के लिए दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा।

8— संगणित यात्री किराये की राशि 1.00 रू0 के गुणांक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 1.00 रू0 तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थः—

1.01 रू0 से 1.50 रू0 = 1.00 रू0

1.51 रू0 से 1.99 रू0 = 2.00 रू0

9— यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि.मी) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि.मी. से अधिक का भाग एक कि.मी. (1.00 कि.मी.) तक पूर्णांकित किया जाएगा।

10— औसत दैनिक भाड़े की गणना के प्रयोजनार्थ दिनों की संख्या की गणना करने के लिए 24 घण्टे का दिन माना जाएगा और किसी दिन का 8 घण्टे से कम का भाग छोड़ दिया जाएगा।

11— किराये के अलावा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान (सुधार) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।

12— मंजिली गाडियों के स्वामियों द्वारा किसी किराया शुल्क, टोल या उगाही, जो यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी या लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में मंजिली गाडियों पर लगायी गयी हो, के कारण अतिरिक्त किराया भी यात्रियों से वसूल किया जा सकेगा।

13— सीटों की माप एवं बसों की श्रेणी के अन्तर्गत साधारण (Non Deluxe), सेमी डीलक्स (Semi Deluxe), डीलक्स (Deluxe), सुपर डीलक्स (Super Luxury Coach with

Monocoque Body), वातानुकूलित (Air Condition) यानों का अभिप्राय AIS 052 में उक्त श्रेणियों के लिए निर्धारित मानकों वाले यानों से है।

14— पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत और पौडी गढवाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून नगर निगम सीमा से आगे मसूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

संख्या—565(1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल।
3— उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, जिला हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी दो सौ प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड ।
6— समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7— मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8— गार्ड फाइल/सूचना पट्ट।

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।